Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

लक्ष्मीचंद वगै0 बनाम गिर्राज वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या 2/20

GCMS NO 2020/00114

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.5.25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0न0 328/08 निर्णय दिनांक 27.7.11 के विरूद्व न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 94/11 पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.5.13 के द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया गया था। जिसकी इजराय प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा से मार्गदर्शन चाहा गया कि किस तरह पालना की जानी है जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा पत्राचार भी किया गया। जिसके बाबजूद भी एक्जीक्यूटीव कोर्ट द्वारा पालना नही करने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि पालना किस तरह से की जानी यह एक्जीक्यूटीव कोर्ट को स्पष्ट किया जावे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.5.13 का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट/वादी/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा बाबत घोषणा ,इन्द्राज दुरूस्ती व हुक्म इम्तनाई दवामी धारा 88,91,188 व 207 पेश किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने पर उसकी अपील इस न्यायालय मे अपील संख्या 94/11 पेश की गई। जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.5.13 को अपीलांट की स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.5.13 के अंतिम पृष्ठ मे स्पष्ट अंकन है कि वादी का वाद पत्र डिक्री योग्य है। जो स्पष्ट आदेश है [illegible] द्वारा वाद पत्र मे चाही गई रिलीफ अनुसार पालना [illegible] अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] से स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि वाद पत्र [illegible] वर्णित आराजीयात पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तो वाद पत्र मे चाही गई रिलीफ के अनुसार पालना की जा सकती है। निर्णय सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested